श्रम और रोजगार मंत्रालय मांग संख्या 63 श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
 कुल	9285.96	5.27	9291.23	11151.65	32.44	11184.09	11146.55	37.54	11184.09	12021.49		12065.49
3 वसूलियां	-5.46		-5.46									
ू. प्राप्तियां												
निवल	9280.50	5.27	9285.77			11184.09	11146.55		11184.09			12065.49
INDIAN	9280.30	J.27	9203.77	11131.03	32.44	11104.09	11140.33	37.34	11104.05	12021.43	44.00	12003.49
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	59.54		59.54	66.81		66.81	70.30		70.30	75.13		75.13
2. श्रम ब्यूरो	11.28	0.01	11.29	21.01	0.03	21.04	21.01	0.03	21.04	28.97	0.03	29.00
 मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय 	65.12		65.12	78.26		78.26	79.72		79.72	104.25	24.12	128.37
 कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई) 	21.62		21.62	23.54		23.54	23.54		23.54	31.00	6.00	37.00
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	61.66	0.15	61.81	62.23	0.11	62.34	63.73	0.11	63.84	77.50	2.00	79.50
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	18.85		18.85	21.00		21.00	25.00		25.00	26.00		26.00
7. रोजगार महा निदेशालय	33.29	0.06	33.35	35.03	0.07	35.10	35.53	0.07	35.60	57.65	10.35	68.00
8. श्रम कल्याण महानिदेशालय				72.00	1.00	73.00	72.00	1.00	73.00	150.60	0.40	151.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	271.36	0.22	271.58	379.88	1.21	381.09	390.83	1.21	392.04	551.10	42.90	594.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	32.36	***	32.36	21.32	0.68	22.00	21.32	0.18	21.50	25.00		25.00
औद्योगिक संबंध												
10. न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन	6.04		6.04									
 बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, मुख्य श्रमायुक्त 	12.30	0.96	13.26	13.90	9.70	23.60	18.37	16.60	34.97			
जोड़-औद्योगिक संबंध	18.34	0.96	19.30	13.90	9.70	23.60	18.37	16.60	34.97	•••		
कार्यकरण स्थिति और सुरक्षा												
 डीजीएफएसएएसएलआई संगठन और कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच का सदृद्धीकरण और विकास 	6.53	0.39	6.92	8.94	9.56	18.50	8.94	6.26	15.20			
आर्पार्य जा पुरुषा महानिदेशालय की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण 13.	8.62	1.66	10.28	11.00	2.00	13.00	11.00	2.00	13.00			

(₹करोड़)

		1			•		1	•					(र कराइ)
		वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
_	(एसएसआईडी)												
	ार्यकरण स्थिति और सुरक्षा	15.15	2.05	17.20	19.94	11.56	31.50	19.94	8.26	28.20			
	श्रम कल्याण योजनाएं	235.98	0.94	236.92	163.00	1.00	164.00	146.00	1.00	147.00	149.00	1.00	150.00
श्रमिकं	ों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं												
15.	असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आवंटित करना	0.96		0.96	1.00		1.00	1.00		1.00	50.00		50.00
16.	असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	49.49		49.49	17.01		17.01	190.00		190.00	200.00		200.00
17.	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	4900.00		4900.00	4500.00		4500.00	6075.52		6075.52	7457.00		7457.00
18.	असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	22.00		22.00	19.90		19.90	19.90		19.90	40.00		40.00
19.	प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए संस्थाओं हेतु प्रोत्साहन				0.10		0.10	0.01		0.01	0.10		0.10
20.	प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन				500.00		500.00	408.00		408.00	500.00		500.00
21.	प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन				750.00		750.00	160.15		160.15	180.00		180.00
22.	क.रा.बी. आंकड़ा आधार के तहत सभी बीमित व्यक्तियों के आधार नं. की				0.10		0.10	0.01		0.01	3.00		3.00
	सीर्डिंग और प्रमाणन												
	मिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	4972.45	•••	4972.45	5788.11	•••	5788.11	6854.59	•••	6854.59	8430.10	•••	8430.10
23.	स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	93.26		93.26	100.00		100.00	79.00		79.00	120.00		120.00
जोड़-केन्द्री	य क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5367.54	3.95	5371.49	6106.27	22.94	6129.21	7139.22	26.04	7165.26	8724.10	1.00	8725.10
केंद्रीय क्षेत्र	। का अन्य व्यय												
स्वायत्त निका	य												
24.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	74.58		74.58	78.00		78.00	113.00		113.00	85.00		85.00
25.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	10.59		10.59	12.00		12.00	12.00		12.00	15.00		15.00
जोड़-स्व	वायत्त निकाय	85.17		85.17	90.00		90.00	125.00		125.00	100.00		100.00
अन्य													
26.	श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
	26.01 ^{तक}												
	26.02 ^{से}	-5.41		-5.41						***	***		
	निव	ल -5.41		-5.41									
जोड़-केंद्रीय	। क्षेत्र का अन्य व्यय	79.76		79.76	90.00		90.00	125.00		125.00	100.00		100.00
राज्य और संघ	राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रार	योजित योजनाएं												
कार्य ए	र्वं कौशल विकास												
27.	रोजगार सृजन कार्यक्रम												
	27.01 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोर्चिंग और मार्गदर्शन	17.32	0.04	17.36	17.90	0.10	18.00	17.90	0.10	18.00	16.90	0.10	17.00

(₹करोड़)

													(1 4715)
		वास्तविक 2018-2019			ৰजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			ब जट 2020-2021		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
•	27.02 रोजगार संवर्द्धन योजना	6.67	1.06	7.73	7.60	8.19	15.79	7.60	10.19	17.79			
	27.03 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	3499.14		3499.14	4500.00		4500.00	3400.00		3400.00	2550.00		2550.00
	27.04 राष्ट्रीय कैरियर सेवा	38.71		38.71	50.00		50.00	66.00		66.00	79.39		79.39
	जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम	3561.84	1.10	3562.94	4575.50	8.29	4583.79	3491.50	10.29	3501.79	2646.29	0.10	2646.39
कुल जोड़		9280.50	5.27	9285.77	11151.65	32.44	11184.09	11146.55	37.54	11184.09	12021.49	44.00	12065.49
ख. विकास शी	र्ष												
सामाजिक से	ग एं												
1.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	17.32		17.32	16.00		16.00	16.00		16.00	15.20		15.20
2.	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	9196.09		9196.09	9979.47		9979.47	9956.56		9956.56	10770.60		10770.60
3.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	59.54		59.54	66.81		66.81	70.30		70.30	75.13		75.13
4.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय		0.04	0.04		0.10	0.10		0.10	0.10		0.10	0.10
5.	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		5.23	5.23		32.34	32.34		37.44	37.44		43.90	43.90
जोड़-सामाजि	क सेवाएं	9272.95	5.27	9278.22	10062.28	32.44	10094.72	10042.86	37.54	10080.40	10860.93	44.00	10904.93
अन्य													
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र				1080.30		1080.30	1080.30		1080.30	1137.16		1137.16
7.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7.47		7.47	8.77		8.77	23.09	***	23.09	23.10	***	23.10
8.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.08		0.08	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30
जोड़-अन्य		7.55		7.55	1089.37		1089.37	1103.69	•••	1103.69	1160.56		1160.56
कुल जोड़		9280.50	5.27	9285.77	11151.65	32.44	11184.09	11146.55	37.54	11184.09	12021.49	44.00	12065.49

- 1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय हेतु व्यय का प्रावधान करता है।
- श्रम ब्यूरो: श्रम ब्यूरो के स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।
- 3. **मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी: से संबंधित अन्य व्यय सीएलसी(सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए व्यय से संबद्ध स्थापना का प्रावधान करता है।
- 4. **कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई):** महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा (डीजीएफएएसएलआई) हेत् स्थापना से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।

- 5. **खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) हेतु स्थापन से संबद्ध व्यय का प्रावधान करता है।
- 6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन तथा एशियाई रोजगार सृजन केंद्र को वार्षिक अंशदान का भुगतान करना तथा आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय को आवास तथा ढ्राचांगत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निधियां प्रदान करना है।
 - 7. **रोजगार महा निदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना से संबंधित व्यय प्रदान करता है।
 - 8. **श्रम कल्याण महानिदेशालय:** श्रम कल्याण महानिदेशालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय प्रदान करता है।

- 9. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम से संबद्घ विषयों के बारे में जांचें, सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान करता है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
- 10. **न्याय निर्णयन तंत्र का सुदृद्धीकरण तथा लोक अदालतों का आयोजन:** यौक्तिकीकरण प्रक्रिया के पश्चात्, यह योजना क्रम सं.3 पर केंद्र के स्थापना व्यय को शिफ्ट कर दी गई है।
- 11. **बेहतर सुलह, उपचारात्मक बीच बचाव तथा श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, मुख्य श्रमायुक्तः** यौक्तिकीकरण प्रक्रिया के पश्चात्, यह योजना क्रम सं.3 पर केंद्र के स्थापना व्यय को शिफ्ट कर दी गई है।
- 12. **डीजीएफएसएएसएलआई संगठन और कारखानों, पत्तनों एवं गोदियों में ओएसएच का सुदृद्धीकरण और विकास:** यौक्तिकीकरण प्रक्रिया के पश्चात, यह योजना क्रम सं.4 पर केंद्र के स्थापना व्यय को शिफ्ट कर दी गई है।
- 13. **खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रणाली और बुनियादी ढांचे का सुदृद्धीकरण (एसएसआईडी):** यौक्तिकीकरण प्रक्रिया के पश्चात्, यह योजना क्रम सं.5 पर केंद्र के स्थापना व्यय को शिफ्ट कर दी गई है।
- 14. **श्रम कल्याण योजनाएं:** यह स्कीम बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा (।) अध्रक खानों, (।।) लौह, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (।।।) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करती है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
- 15. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आवंटित करना: इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सिंहत विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
- 16. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना: आम आदमी बीमा योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा स्कीम है तथा इसमें 48 अभिज्ञात व्यावसायिक/व्यवसाय समूहों/ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के बीच के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए मृत्यु एवं अपंगता छत्र का प्रावधान है। इस स्कीम में पूरक लाभ का भी प्रावधान है, जिसमें 9 से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययनरत अधिकतम दो संतान प्रति व्यक्ति को अर्ध-वार्षिक आधार पर वजीफा दिया जाता है। इसमें उत्तरपूर्व, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल हैं।
- 17. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों का प्रावधान है। यह प्रावधान स्कीमों में सरकारी अंशदान के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।
- 18. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस स्कीम में असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा, बागान कामगारों के लिए असम-परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा स्कीम के चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है तथा चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम का प्रशासन असम के बागान कामगारों के संबंध में असम की राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित हैं। इस

प्रावधान द्वारा स्कीम में केन्द्र सरकारों के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी पूर्ति की जाती है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।

- 19. प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए संस्थाओं हेतु प्रोत्साहन: सरकार उन कंपनियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रही है जो अपनी महिला कर्मचारियों को जैसा कि प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधान किया गया है, 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्रदान करती हैं। किसी कंपनी को इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु समर्थ बनाने के लिए, उस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी प्रति माह 15,000/- रुपये से कम मजदूरी पाने वाली और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कम से कम एक वर्ष से सदस्य होना चाहिए और वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से प्रशासित की जानी प्रस्तावित है । इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।
- 20. **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधान मंत्री श्रम योगी जनधन योजना उन असंगठित श्रमिकों के लिए प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन के लिए सरकारी अंशदान प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता को कबर करती है, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या इससे कम है, इसे एलआईसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा।
- 21. प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन: कैबिनेट 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह के दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना को मंजूरी दी। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- 22. **क.रा.बी. आंकड़ा आधार के तहत सभी बीमित व्यक्तियों के आधार नं. की सीडिंग और प्रमाणन:** ईएसआई लाभार्थी की पहचान के लिए यह प्रस्तावित है कि केंद्र सरकार ईएसआई योजना के तहत लाभार्थियों के डेटा बेस में आधार को अपडेट करने के लिए प्रत्येक बीमित व्यक्ति के पूरी परिवार लिए उसके खाते में 1 / रु का योगदान करेगी। इस प्रयोजन के लिए अनुमानित खर्च शुरू में लगभग 3 करोड़ रुपये होगा।
- 23. स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना: इसमें स्वयंसेवी एजेन्सियों को अनुदान सहायता और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संविन्यास, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति संघटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं।
- 24. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड: इस योजना का उद्देश्य कामगारों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी देश के समाजार्थिक विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए शिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तरों के अनौपचारिक के देश व्यापी 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और मुम्बई स्थित भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कामगारों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है | इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
- 25. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान**: वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंध है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आबंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।
- 27.01. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन:** इस योजना में अनुसू चित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं मार्गदर्शन एवं केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के आवेदकों के लिए आत्म विश्वास के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जा सके। ये कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत वैंकों एवं अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

पाठ्यक्रमों को चलाने में संलग्न हैं। रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्य योजना भी कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा शुरु की गई है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति के घटक एवं अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए निधि का आवंटन शामिल है।

- 27.02. रोजगार संवर्द्धन योजना: यौक्तिकीकरण प्रक्रिया के पश्चात्, यह योजना क्रम सं.7 पर केंद्र के स्थापना व्यय को शिफ्ट कर दी गई है।
- 27.03. **रोजगार सृजन कार्यक्रम:** इस योजना को नए रोजगार के मृजन हेतु नियोजकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, जिसमें भारत सरकार पहले 3 वर्षों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नियोजकों को मजदूरी का 8.33% अंशदान का भुगतान करती है। इसमें पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के लिए आवंटित निधियां शामिल है।
- 27.04. **राष्ट्रीय कैरियर सेवा:** राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल की संकल्पना की गई है जो बेरोजगारों तथा नियोजकों को क्षमतानुरूप रोजगार काफी प्रभावी, सक्षम तथा परिहार्य तरीके से प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3000 व्यवसायों से अधिक कैरियर संबंधी जानकारी का सक्षम कोष है। इस योजना द्वारा नियोक्ताओं तथा बेरोजगारों के लिए आपसी संवाद हेतु रोजगार मेलों के आयोजन की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्रों की स्थापना करने की संकल्पना है ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रोजगार सेवा प्रदान की जा सके। इसमें पूर्वोत्तर हेतु आवंटित निधि, अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) एवं अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) शामिल रहता है।